संख्या: 06 /XXX(2)/2006

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून: दिनांक 12 जनवरी 2006

विषय:-विभिन्न विभागों के अन्तर्गत ''घ'' के कर्मचारियों के समूह ''ग'' में पदोन्नति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत समूह ''घ'' के कर्मचारियों की समूह ''ग'' के 25% (15% हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं 10% इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण) पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु व्यवस्था की गई है । इस व्यवस्था के अन्तर्गत श्रेणी ''घ'' के पात्र कर्मचारी को संगत सेवानियमावली में निर्धारित परीक्षा के उपरान्त चयनित होने पर पदोन्नत किया जाता है। इस बीच कतिपय समूह ''घ'' के कर्मचारी संघों द्वारा उक्त व्यवस्था को मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए यह अनुतोष मांगा है कि श्रेणी ''घ'' से श्रेणी ''ग'' के पदों पर उनकी पदोन्नति उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के प्राविधानों के अनुसार की जाय । ऐसी रिट याचिकाओं में विभागों द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने से पूर्व कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त नहीं किया गया, जिसके कारण मा0 उच्च न्यायालय में नियमों की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं की जा सकी है । फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय रिट याचिकाओं में यह आदेश किये कि उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के मानदण्ड) नियमावली, 2004 अध्यारोही प्रभाव की नियमावली है और इस आधार पर इस नियमावली के नियम 4 के प्राविधानों के अनुसार समूह ''घ'' से समूह ''ग'' के पद पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाय ।

2. समूह ''ग'' में नियुक्तियों के लिए पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय (सीधी भर्ती) निमयावली, 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती रही है । इस नियमावली के नियम 6 में प्राविधान किया गया है कि किसी अधीनस्थ कार्यालय की 15 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हाईस्कूल उत्तीर्ण समूह ''घ'' के कर्मियों से समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार पदोन्नति द्वारा की जायेगी । समूह ''घ'' के कर्मचारियों से परीक्षा अथवा चयन कर समूह ''ग'' में पदोन्नति की व्यवस्था उपरोक्त नियमावली के नियम 6 के परन्तुक में दी गई व्यवस्था के अनुसार दी जाती है । उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती मानदण्ड) निमयावली, 2004 समूह ''घ'' से समूह ''ग'' में पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है । इस नियमावली के नियम 1(3) में यह प्राविधान है कि यह नियमावली किसी पद या सेवा में जिसके लिए समय-समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के अधीन पदोन्नति करने के अनुपालन किये जाने वाले सिद्वान्तों पर लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है, उनमें पदोन्नति द्वारा भर्ती के संबंध में लागू होगी। उत्तरांचल लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 का विनियम 6 पदोन्नतियों के संबंध में है, जिसमें कहा गया है कि पदोन्नतियां करने, पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के संबंध में निम्नांकित मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा । अर्थात्-

(क) समूह ''ग'' के उन पदों पर, जिनकी सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, पदोन्नतियां करने में या एक अराजपत्रित पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नतियां करने में,

(ख) समूह ''ग'' के पदों से समूह ''ख'' के पदों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर जहां भर्ती का एकमात्र स्रोत पदोन्नति हो, पदोन्नतियां करने में । विनियम 6 से स्पष्ट है कि समूह ''घ'' से समूह ''ग'' में पदोन्नति के मामले विनियम 6 से आच्छादित नहीं होते है और इस कारण से उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के प्राविधान समूह ''घ'' से समूह ''ग'' में पदोन्नति के मामले में लागू नहीं होंगे ।

3. उक्त नियमावली के नियम 4 में प्राविधान किया गया है कि पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड--विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद जिसके वेतनमान का अधिकतम रू0 18300 या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती ''योग्यता'' के आधार पर की

जायेगी और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों पर जिनमें ऐसा पद भी सम्मिलित है जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी । समूह ''घ'' के पद कोई सेवा नहीं है और समूह ''ग'' लिपिक वर्गीय पद भी कोई सेवा नहीं है । ऐसी दशा में समूह ''घ'' से समूह ''ग'' में पदोन्नति हेतु नियम 4 से आच्छादित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त यह पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति नहीं है ।

4. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह ''घ'' से समूह ''ग'' के लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति के मानदण्ड को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ-पत्र उपरोक्तानुसार नियमों की स्थिति स्पष्ट करते हुए दाखिल किए जायं और उनका प्रभावी रूप से प्रतिवाद किया जाय । जहां प्रतिशपथ-पत्र लगाया जा चुका है वहां पूरक शपथ-पत्र लगा कर नियमों की सही वस्तुस्थिति मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाय । जिन मामलों में मा0 उच्च न्यायालय में निर्णय हो गया है उनमें यथा आवश्यकता विशेष अपील/विशेष अनुज्ञा याचिका उपरोक्त स्पष्टीकरण के आलोक में दाखिल करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या 06 /xxx(2)/2005,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव ।